न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, आईएएस

प्रकरण संख्या – 71/2019 (Bank Case)

एक्सिस बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस–त्रिशूल, समर्थेश्वर मन्दिर के पीछे, इलीस ब्रिज, अहमदाबाद तथा कॉरपोरेट ऑफिस एक्सिस हाउस, बोम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली मुम्बई–400025 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री पुनीत माथुर ।

– प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

1. श्री कारगो हील ट्रांसफर प्रा.लि. फ्लेट नं. 103, शीतल सरोवर, शीतल नगर, एम.टी.एन.एल. रोड मीरा रोड, थाने (महाराष्ट्र) मुम्बई पंजीकृत कार्यालय– 403/404, बिल्डिंग नं0 बी–11, साई अर्पण, साई कॉम्पलेक्स, जीसी पार्क रोड, मीरा रोड, शान्ति विहार के पास, थाने (महाराष्ट्र) —(ऋणी)
2. श्री मनीष कुमार कारपेन्टर निवासी–ए/13, विशपर्वा पृथ्वी कॉम्पलेक्स, सैक्टर 3, मीरा रोड थाने (महाराष्ट्र) —(सहऋणी एवं मोर्गेजर)
3. श्रीमति वन्दना मनीष कारपेन्टर निवासी–ए/13, विशपर्वा पृथ्वी कॉम्पलेक्स, सैक्टर 3, मीरा रोड, थाने (महाराष्ट्र) —(सहऋणी मोर्गेजर)
4. ललित कुमार कारपेन्टर निवासी– बी–53, फेस 3, मिनाल रेजीडेन्सी, जे.के. रोड नारेला शंकरी गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.) —(सहऋणी एवं गारन्टर)
5. श्रीमति पूजा निशान्त गोयल निवासी–मनाली नं0 3, सी–63/64, एवरशाईन नगर, मलाड वेस्ट मुम्बई —(गारन्टर एवं मोर्गेजर)
6. निशान्त वासुदेव गोयल निवासी– मनाली नं0 3, सी– 63/64, एवरशाईन नगर, मलाड वेस्ट मुम्बई —(गारन्टर एवं मोर्गेजर)
7. श्रीमति आशा अजय जायसवाल, निवासी– एच/502, ग्रेट ईस्टर्न गार्डन, एल बी एस मार्ग, सेन्ट जेवियर स्कूल के पास, कंजूर मार्ग वेस्ट, मुम्बई —(गारन्टर एवं मोर्गेजर)
8. अजय जायसवाल निवासी एच/502, ग्रेट ईस्टर्न गार्डन एल.बी.एस मार्ग, सेन्ट जेवियर स्कूल के पास कंजूर मार्ग वेस्ट, मुम्बई —(गारन्टर एवं मोर्गेजर)
9. जगन्नाथ प्रसाद शर्मा निवासी– एच–22 तलवंडी, केश पीआईपी, कोटा

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूरिटीजेशन रिकन्स्ट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री सौरभ सुमन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 18.06.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है एक्सिस बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस त्रिशूल, समर्थेश्वर मन्दिर के पीछे, इलीस ब्रिज, अहमदाबाद तथा कॉरपोरेट ऑफिस एक्सिस हाउस, बोम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली मुम्बई से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से ऋण अनुबंध दिनांक 16.10.2016 से कुल रुपये

Scanned by CamScanner

30000000/– (अक्षरे: रूपये तीन करोड़, मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी नं0 9 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति बंगला नं0 3 एच 22, तलवंडी, कोटा क्षैत्रफल 1000 वर्गफीट बिल्डअप एरिया पूर्व में मकान नं0 3 एच 21, पश्चिम में मकान नं0 3 एच 23, उत्तर में मकान नं0 3 एच 7, दक्षिण में रोड है,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 21.12.2017 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 30234018/– (अक्षरे रूपये तीन करोड़, दौ लाख, चौंतीस हजार अठ्ठारह मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.12.2017 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । **प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 11.10. 2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये तथा नोटिस प्राप्ति के बावजूद** ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा बधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही सम्भंलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इम्दाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभांषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान नहीं करने **प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 11.10.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये तथा नोटिस प्राप्ति के बावजूद** ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। **प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 11.10.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये तथा नोटिस प्राप्ति के बावजूद** भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता मे **अचल सम्पत्ति बंगला नं0 3 एच 22, तलवंडी, कोटा क्षैत्रफल 1000 वर्गफीट बिल्डअप एरिया पूर्व में मकान नं0 3 एच 21, पश्चिम में मकान नं0 3 एच 23, उत्तर में मकान नं0 3 एच 7, दक्षिण में रोड है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 18.06.2019 को सुनाया गया ।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner